Idle capacity in Steel Plants

2400. SHRI N. R. DEOGHARE: Will the Minister of STEEL AND HEAVY ENGINEERING be pleased to state:

(a) whether there is still idle capacity in the Steel Plants in the country;

(b) if so, the names of the plants and the extent of idle capacity; and

(c) the steps being taken to utilise the idle capacity?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF STEEL AND HEAVY ENGINEERING (SHRI K. C. PANT): (a) to (c). From about the beginning of this year, there has been a substantial improvement in the demand for iron and steel materials and there is at present practically no idle capacity in the steel plants for want of orders.

---

12 hrs.

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

CONCLUSIONS OF CHIEF MINISTERS CONFERENCE RE. LAND REFORMS

श्री प्रकाशवीर शास्त्री (हापुड़) : अध्यक्ष महोदय, मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर खाद्य, कृषि सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्री का ध्यान दिलाता हूं और चाहता हूँ कि वे इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें :

'भूमि सुधारों के सम्बन्ध में मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन के निष्कर्ष।''

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE, COMMIUNITY DEVELOPMENT AND CO-OPERATION (SHRI ANNASAHIB SHINDE): The new strategy in agriculture has brought to the fore the urgency of structural changes in tenurial conditions, which can only be brought about through expeditious and effective implementation of land reform measures. It is with this object in view that the Conference of Chief Ministers of all the States and Union Territories was convened at New Delhi last week. The agenda included a review of the progress upto date, indentification of the gaps and weaknesses in the existing loss and in its implementation and the need for reorientation of the land policy with reference to security of tenure, regulation of rent and land ceilings, and the ways and means to improve the living conditions of landless agricultural labourers by providing them with a piece of land for cultivation and homestead purposes.

The Chief Ministers of States and Union Territories accordingly met on 28th and 29th November, 1969 and discussed the various problems under the Chairmanship of the Union Minister of Food and Agriculcure. A note containing the summary of the recommendations made by the Conference is laid on the Table of the Sabha.

Summary of recommendations made by the Chief Ministers' Conference on Land Reforms.

(1) It was recommended that all the remaining intermediary interests and estates should be abolished by the end of 1970.

(2) It was recommended that legislative measures should be adopted for bringing tenants into direct contact with the States to ensure effective security as well as to enable the tenants farmer to obtain institutional credit.

(3) It was recommended that the task of revising the land records and preparing an up-to-date record of tenants and sub-tenants will be accorded a very high priority in the Plan schemes.

(4) In respect of sub-tenancy, it was recommended that while legislation in this regard should be implemented expeditiously, care should be taken to see that it was not circumvented by land owners.

(5) With regard to the problem re-

sumption, the Conference broadly agreed that this right should be further restricted.

(6) With regard to the ceiling provisions, it was decided that the State Governments and Union Territories will review the position, having regard to the new strategy and technological developments in agriculture and take steps to enforce the ceiling legislation.

(7) With regard to surplus and Government fallow land, it was recommended that this should be distributed to the landless agricultural labourers. They should be made secure in regard to homestead land and organised into appropriate cooperative organisations for improving their bargaining powers with regard to wages.

(8) With regard to institutional credit, it was agreed that there was a great need for simplification of the procedure. It was rcommended that, as far as possible, credit facilities should be provided for the small farmers and the landless agricultural labourers for ancillary activities like dairy cattle and poultry.

(9) It was further agreed that farmers' training programmes should be organised so that the small famers could make use of the modern technology.

(10) With regard to consolidation of holdings, it was agreed that, as a matter of priority, this should be taken up immediately in the irrigated areas.

(11) To review and evaluate the progress of land reforms, it was decided to have high power Committee in each State and Union Territory under the Chairmanship of the Chief Minister.

It was also decided to have a Central Committee under the Chairmanship of the Union Minister for Food, Agriculture, Community Development and Cooperation, to review the progress made by the different States in the implementation of land reforms.

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : श्रीमान्, मैं जानना चाहता हूं कि मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में जो निर्णय लिए गए हैं उसका अभिप्राय केवल वर्तमान सरकार और उसके व्यक्तियों की लोकप्रियता को बढ़ाना है अथवा इस निर्णय में कोई गम्भीरता भी है ? यदि उसमें कोई गम्भीरता है तो मेरा सरकार पर आरोप है कि पिछले 22 वर्षों में इस प्रकार के क्रान्तिकारी निर्णय यह सरकार क्यों नहीं ले सकी ? यदि इसमें कोई गम्भीरता है तो मैं कृषि मंत्रालय से जानना चाहता हूं कि आज उनके पास क्या इस तरह के कुछ आंकड़े हैं कि कितनी भूमि इस प्रकार की हैं जो भूमिहीनों में वितरण की जा सकती है और इस प्रकार के कितने भूमिहीन हैं जिनको भूमि की आवश्यकता है ? यदि सरकार के पास ये आंकड़े भी नहीं हैं तो फिर यह सरकार का केवल मात्र एक थोथा नारा है और इसके पीछे कोई गम्भीरता नहीं है ।

दूसरी बात यह है कि फोर्ड फाउन्डेशन ने जब पैकेज स्कीम हिन्दुस्तान में लागू करनी चाही तो उसके लिए अपना एक अध्यन दल यहां पर भेजा, उसकी रिपोर्ट शासन को प्राप्त हुई है । इस रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि सिवाय उत्तर प्रदेश के हिन्दुस्तान के किसी प्रान्त में भी भूमि सुधार सम्बन्धी कानूनों को गम्भीरता से लागू नहीं किया गया ।

तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जिस समय फर्स्ट और सैकेन्ड़ फाइव ईयर प्लान बने तो जमीदारी एवालिशन के सम्बन्ध में यह हुआ कि जिन जमीदारों की जमीदारियां ली जा रही हैं उनके अपने निर्वाह के लिए कहीं 60 एकड़ और कहीं 30 एकड़ दे दिया जायें । यह जो राइट आफ रिज़म्पशन था उसके सम्बन्ध में अभी तक भी सरकार कोई निर्णय नहीं ले पाई । कृषि मंत्री के अपने बिहार में 18-18

हजार ऐकड़ के फार्म हैं और संसद कार्य मंत्री के अपने प्रदेश में तम्बाकू के हजार हजार एकड़ के फार्म हैं। इनमें मंत्रियों तक के फार्म हैं, यह मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूं।

इस सम्बन्ध में मेरे दो तीन प्रश्न हैं। यदि ये सुधार गम्भीरता के साथ किये जा रहे हैं तो सरकार स्पष्ट रूप से उनके उत्तर दें। पहली बात तो यह है कि सीलिंग के इन्होंने जो सिद्धांत निर्धारित किये हैं वह कहीं तो साढ़े 12 एकड़ हैं और कहीं 30 एकड़ हैं इसलिए क्या सरकार सीलिंग के सम्बन्ध में सारे देश के लिए एक जैसा कानून बनाने के सम्बन्ध में विचार कर रही है ? यदि कर रही है तो कुछ लोगों ने जो कोआपरेटिव्ज़ और लिमिटेड कम्पनीज़ बनाकर हजारो ऐकड़ जमीन पर अधिकार कर रखा है, उस जमीन के वितरण के सम्बन्ध में सरकार ने क्या योजना बनाई है। इसी प्रकार कुछ ऐसे फार्म हैं जिनके अन्दर नकली नकली नाम भर करके लोग बड़े बड़े फार्म चला रहे हैं, क्या सरकार के पास उनकी जानकारी है और उनसे इस प्रकार के फार्मों को ले करके भूमिहीनों में वितरण की क्या योजना है ? इसी प्रकार से कुछ व्यक्तियों ने अपने काले धन को सफेद बनाने के लिए खेती करनी शुरू की है। यदि सरकार के निर्णय में गम्भीरता है तो क्या इन लोगों से भी भूमि लेकर के उन लोगों को दी जायेगी जो वास्तव में कृषि करने के लिए सक्षम हैं और कृषि कर सकते हैं ?

दूसरी बात यह है कि जो भूमि सुधार किये जा रहे हैं उनका देश के उत्पादन पर कोई विपरीत प्रभाव न पड़े, क्या इस दृष्टि से भी सरकार ने विचार कर लिया है ? ये मेरे तीन चार मुख्य प्रश्न हैं जिनके उत्तर सरकार विस्तार में दे जिससे यह प्रतीत हो सके कि सरकार के निर्णय में कुछ गम्भीरता है।

SHRI ANNASAHIB SHINDE : I do not think that any policies is involved in the matter of land reforms. As the hon. Member himself is aware, after the new strategy of agriculture has been adopted and new technological developments have taken place in the field of agriculture, some tensions have developed in the rural areas, and there is more urgent need now to look into the problem of land reforms afresh having this background in view, aud this conference of the Chief Ministers was convenyed by the Minister is of Food and Agriculture to discuss this matter. Even in the past, Government were reviewing from time to time the various land reforms measures taken by the State Governments. But the hon. Member will appreciate that land reform is, constitutionally, a State subject. The cooperation of the State Government is absolutely necessary to have effective implementation of land reforms. We have been trying to persuade the State Government to see that land reforms, whether it be in regard to security of tenure, or implementation of land ceilings or fixation of fair rent, or rehabilitation of landless labourers on land etc. are implemented expeditiously and effectively. I concede the point that in many of the States, land reforms have not been very effectively implemented. Therefore, there is all the more the need to see that the necessary consensus is created in the country and an awareness is created in the country so that popular pressure is built up and the State Governments are required to take necessary steps in that direction.

As far as the conference of the Chief Ministers is concerned, I must submit that this conference has made a great contribution, because a general consensus, has been evolved in this conference, and there was a near-unanimity in the conference as far as fixity of tenure was concerned, and it has been declared by the conference, and the decision was announced by the hon. Minister of Food and Agriculture in the press conference held thereafter that within a period of one year, that is, by 1970, all intermediaries would be abolished; some decisions also have been taken which have been enumerated in the statement laid on the Table of the House.

In regard to implementation, the hon. Member had made some reference to certain States like Bihar, Andhra Pradesh etc. I quite concede the position that in many States, there are gaps in the existing legisla-

[Shri Anna Sahib Shinde]

tion. This problem was also gone into, and the Chief Ministers have given the assurance that they will review land reforms, ceilings, on lands in their States and take steps to see that there is effective implementations.

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : मेरे दो प्रश्न बड़े प्रमुख रूप से थे। एक तो यह कि जब सरकार भूमि सुधार कानून लागू करने के लिये जा रही है तो क्या इस सरकार ने कानून लागू करने के पहले इस तरह के कुछ आंकड़े एकत्रित कर लिये हैं कि इस तरह की भूमि कितनी है विभिन्न राज्यों के अन्दर की जिस के ऊपर लोग ज़बरदस्ती या गलत ढंग से कब्ज़ा किये बैठे हैं, जो भूमिहीन लोगों के अन्दर वितरित की जा सकती है।

दूसरा प्रश्न यह कि जो लिमिटेड कम्पनियां बना कर, बोगस कोआपरेटिव सोसाइटीज़ बना कर या ऐसे फार्म बना कर कि जिनमें नकली नाम भरे हुए हैं और भूमिहीन लोग उन के किनारे पर खड़े हुए तरस रहे हैं, इस सम्बन्ध में कोई निर्णय लेने का विचार सरकार कर रही है ? या उन फार्मों को ज्यों का त्यों रहने देना चाहती है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री और श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री जगजीवन राम) : कुछ आंकड़े तो हैं इस तरह के किस किस राज्य में सरकार की कितनी जमीन है जिस पर कोई बसा हुआ भी नहीं है, या जहां पर सीलिंग लग जायगी उसके बाद कितनी ज़मीन उपलब्ध हो सकती है। और यह भी आंकड़े राज्यों के मौजूद हैं कि किस राज्य में कितने भूमिहीन कृषक श्रमिक हैं। यह आंकड़े मोटे तौर पर रिपोर्टों में भी हैं और राज्य सरकारों के पास भी हैं। इस दिशा में कुछ काम हुआ भी है। आंकड़े मौजूद हैं कि किस किस राज्य में कितनी भूमि उपलब्ध हुई और कितने परिवारों को वह वितरित की गयी।

यह जरूर कहा जा सकता है कि यह समस्या जितनी बड़ी है उस को देखते हुए जितनी भूमि उपलब्ध हुई वह बहुत थोड़ी हुई और जितने परिवारों को वितरित की गई वह भी अनुपात से कम ही रहा।

जहां तक बड़ी बड़ी कम्पनियों का सवाल है, जहां जहां सीलिंग ऐक्ट लगे हैं कुछ राज्यों में तो उन को कोई छूट नहीं दी है और कुछ राज्यों में अपवाद दिया हुआ है। उत्तर प्रदेश में जैसे गन्ने के बारे में अपवाद था। लेकिन अभी राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया था कि वह जो छूट थी उस को भी खत्म किया जाय। सीलिंग के बारे में यह भी एक कठिनाई थी कि आरम्भ में जो सीलिंग डाल दिया था उस को अगर कुछ कम करना चाहें तो उस में कानूनी अड़चन आ गयी। उड़ीसा सरकार ने जब ऐसा करना चाहा तो यहां के हाई कोर्ट ने यह फैसला कर दिया था कि ऐसा करने का अधिकार हमारे विधान सभा के प्रतिकूल होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो फैसला दिया है उस फैसले के हिसाब से राज्य सरकारों को यह अधिकार मिल चुका है कि प्रारम्भिक कानून में जो सीलिंग निर्धारित किये हुए थे उस को कम करना चाहें तो कम कर सकते हैं। तो यह हो जाने के बाद कई सरकारों ने ऐसी इच्छा प्रकट की है कि वह सीलिंग के मामलों को फिर से देखना चाहती हैं।

कम्पनियां और कोआपरेटिव सोसाइटियां फ़र्जी बनायी जाती हैं, अब यहां से उस के सारे आंकड़े रखना सम्भव नहीं होगा। सदन को मालूम है कि यह विषय राज्य सरकारों का है। लेकिन राज्य सरकार इस तरफ जागरूक हैं। हम आशा करेंगे कि कुछ मुनासिब कदम उठायेंगे।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, आप थोड़ा संरक्षण दें। मेरा प्रश्न बड़ा स्पष्ट है कि भूमिहीन कितने हैं और भूमि कितनी है। क्या भूमि का उन में वितरण करने से समस्या का समाधान हो जायेगा ? अगर समाधान नहीं

होगा तो जितनी भूमि आयेगी उस को उत्पादन क्षमता इतनी बढ़ जायेगी कि जिस से उन की गरीबी को दूर किया जा सके ? इस विषय में न मंत्री महोदय और न माननीय शिन्दे जी कुछ बता रहे हैं। मुख्य प्रश्न मेरा यह है जिस का मैं उत्तर चाहता हूं।

श्री जगजीवन राम : मैंने अभी कहा कि जितनी भूमि उपलब्ध हुई और जितने परिवार हैं उस के अनुपात में वह बहुत कम है। सभी भूमिहीनों को उसी भूमि पर बसा कर के उन की समस्या को नहीं सुलझाया जा सकता है। यह तो साधारण बात है। लेकिन उस के लिये यह प्रयत्न करना पड़ेगा कि भूमि पर जितना दबाव है वह कम किया जा सके और अधिकांश क्षेत्रों में जो कृषि की नई प्रणाली है, सिंचाई, उन्नत किस्म के बीज, खाद इन से उत्पादन क्षमता बढ़ा सकें। इस से यह होगा कि जहां अधिक जमीन की आवश्यकता है वहां थोड़ी जमीन से भी एक परिवार का गुजारा चल सकता है।

श्री मोलहू प्रसाद (बांसगांव) : श्रीमान् जिस तरह आप मेरे नाम के बारे में अभी स्पष्ट नहीं हो पाये, उसी तरह से यह 30 नवम्बर का हिन्दुस्तान समाचार-पत्र है इस में यह छपा है कि "केन्द्रीय खाद्य और कृषि मंत्री, श्री जगजीवन राम की अध्यक्षता में हुए दो दिन के मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में अन्तिम दिन आज की बैठक के बाद उन्होंने संवाद दाताओं को बताया कि जमींदारों को केवल इसी हालत में काश्तकारों से जमीन वापस लेने का अधिकार होगा जब कि वे सैनिक सेवाओं के बाद पुन: अपनी जमीन पर जा कर खेती करना चाहेंगे"। इसी प्रकार की एक, दो स्थितियों के अलावा अन्य किसी हालत में काश्तकारों को बेदखल करना असम्भव कर दिया जायेगा।

अब यही पेचीदगी है। मिलिटरी के जो रिटायर्ड अफसर हैं या होंगे, सारी जमीन उन्हीं लोगों के पास है। यह जो बड़े बड़े लोग हैं वही मिलिटरी के रिटायर्ड अफसर होंगे तो सारी जमीन उन के पास चली जायेगी और किसी को मिलेगी नहीं। सीलिंग कानून लागू होने के बाद जितनी जमीन निकली है वह बहुत कम है जो और मिली उत्तर प्रदेश में सारे मिलिटरी के अफ़सरों ने फार्म बना रखे हैं, और एक भी इंच जमीन भूमिहीनों के हाथ में नहीं आई है। इसलिए आप यह पेंच न लगायें। जैसे आज तारांकित प्रश्न के उत्तर में उद्योग मंत्री ने कहा कि जो लोग जो काम करते हैं उन को वही काम दिया जायेगा। तो योग्यता के आधार पर इस देश में काम काज का बंटवारा किया जाय कि जो परिवार खेती करता हो, खेती उस को ही दी जायेगी। और अगर इस आधार पर नहीं दी जायगी तो आप खेती का बंटवारा किस योग्यता के आधार पर करेंगे ? इसलिए काम का बंटवारा होना चाहिए, वरना एक ही परिवार में सारी खेती रहेगी, बड़े बड़े फार्म रहेंगे। और ऐसे ही बड़े परिवारों में से आज सारे अफसर निकलते हैं जो अदालतों में न्यायाधीश बनते हैं और वकील भी बनते हैं जिस की वजह से एक इंच भी जमीन आज तक गरीबों को नहीं मिली है। और यह राजनीतिक तिकड़म के बल पर इस देश में शासन चल रहा है। बड़े बड़े पैसे वालों के पास ही बड़ी बड़ी नौकरियां हैं, उन्हीं में से मंत्री बने हुए हैं। इस देश में एक इंच भी जमीन गरीबों के पास नहीं जाने वाली है। गरीबों का कोई प्रतिनिधि यहां चुन कर नहीं आ पाता, बड़े पैसे वाले लोग ही चुनाव लड़ कर आ सकते हैं।

इसलिए मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि मिलिटरी के जो रिटायर्ड अफसर हैं उनको काफी सुविधायें मिलती हैं, उन को खेती देने की क्या जरूरत है। अगर सही माने में भूमिहीनों को जमीनें देने की नीयत होती तो जिन सूबों में राष्ट्रपति का शासन लागू है वहां तो

[श्री मोलहू प्रसाद]

केन्द्र सरकार व्यवस्था कर ही सकती थी। बिहार में राष्ट्रपति का शासन है, दिल्ली में भी केन्द्रीय सरकार का ही एक तरह से अधिकार है, क्या यहां भूमि वितरण की आप कोई व्यवस्था करा रहे हैं ? यह मज़ाक नहीं है तो और क्या है। अगर आप सही मानों में भूमिहीनों को ज़मीन देना चाहते हैं तो यह जो पेचीदगियां आप पैदा कर देते हैं इन की कोई आवश्यकता नहीं है। इन पेचीदगियों को आप समाप्त करने के लिए क्या योजना बना रहे हैं। इस का स्पष्टीकरण करने की आप कृपा करें।

SHRI ANNASAHIB SHINDE : The State Governments can determine the limits, the extent to which the lands can be resumed, but I do not think there will be two views in the Houses that persons who are prepared to give up their lives for the nation, who join the army, simply because they join the army should not be deprived of resuming the land after retirement from service. I do not think that would be a correct approach. Even at the Chief Ministers' Conference there was near unanimity on this point, because there are certain categories of persons, widows, minors, persons serving in the army, for whom some special concession should be given. I think by and large this House would agree with this approach.

The hon. Member has referred to Bihar. The hon. Member's party was the ruling party some time back, part of the United Front Government there.

श्री राम सेवक यादव (बाराबंकी) : मैं जानना चाहता हूँ कि ऐस० ऐस० पी० की सरकार 10 महीने वहां थी इसलिए वहां यह कानून नहीं लागू कर रहे हैं सीलिंग का ?

SHRI ANNASAHIB SHINDE : At least at that time the hon. Member's party could have shown seriousness about this. The Central Government would have helped all the way to see that the United Front Government brought land reforms. The same thing applies to Shri Yadav's party also, because his party was also ruling in U.P.

श्री राम सेवक यादव : प्रश्न था दिल्ली केन्द्र शासित है, बिहार केन्द्र शासित है, तो जो केन्द्र शासित इलाके हैं उन में भूमि सुधार कानून लागू करने में क्या अड़चन है, यह मंत्री महोदय बतायें।

अध्यक्ष महोदय : माननीय मोलहू प्रसाद, आप ने एक प्रश्न को 10 गुना लम्बा बना दिया इसलिए अब मैं आप को और प्रश्न करने की इजाजत नहीं दूंगा।

श्री राम सेवक यादव : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न का उत्तर तो दिलायें कि क्यों लागू नहीं कर रहे हैं केन्द्र शासित इलाकों में यह नियम ?

श्री मोलहू प्रसाद : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया है।

अध्यक्ष महोदय : जवाब जो मंत्री जी को देना था वह दे दिया है और दूसरा कोई उन के पास जवाब नहीं है।

श्री मोलहू प्रसाद : मैंने कहा कि आखिर इस देश में कामकाज की अर्थात खेती, उद्योग आदि की क्या परिभाषा है यह मैं उनसे जानना चाहता हूँ।

अध्यक्ष महोदय : श्री मोलहू प्रसाद अब बैठ जायं।

श्री मोलहू प्रसाद : दरअसल सरकार द्वारा इस देश में भूमिहीनों की समस्या हल करने के लिए क्या किया जा रहा है ? रोज अखबारों में पढ़ने को आता है कि यह करने जा रहे हैं और वह करने जा रहे हैं लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आज हमारे क्षेत्र के अन्दर 6,8,12 आने और 1 रुपया खेतिहर मजदूरों को प्रतिदिन मजदूरी मिल रही है उन की दशा सुधारने पर तो सरकार सोच नहीं रही है उलटे...

वह रिटायर्ड अफसरों को भूमि देने की व्यवस्था करने के बारे में सरकार सोच रही है और*

MR. SPEAKER : It is not to be recorded. He is defying the Chair.

श्री यशपाल सिंह (देहरादून) : श्री जगजीवन राम ने यह स्टेटमेंट दिया है कि जो उफ़तादा ज़मीन पड़ी हुई है उस पर लैंडलैस लेबर कब्जा कर ले इस तरह से उन्हें उकसाया गया है लेकिन इस के लिए यहां पार्लियामेंट से कोई मुनासिब ला क्यों नहीं बनाया जाता ताकि जो ज़मीन उफतादा पड़ी हुई है वह हरिजनों और भूमिहीनों को वितरित कर दी जाय। लेकिन इस तरह का यहां से कानून पास किये बगैर खाद्य मंत्री श्री जगजीवन राम का इस तरह का प्रचार करना और उफतादा ज़मीनों पर इस तरह से कब्जा कर लेना कहां तक न्यायसंगत है। इसके अलावा यह लैंडलैस लेबरर्स जोकि सदियों से कुचले हुए है वह क्या इस लायक है कि वह जाकर ऐसी ज़मीनों पर कब्जा कर सकते हैं? माननीय श्री जगजीवन राम 21 साल में इस के लिए मुनासिब कानून नहीं बना पाये ताकि यह उफतादा पड़ी हुई ज़मीनें लैंडलैस लेबर को दी जा सकें तो यह 4 महीने के महज़ उकसाने से यह लैंडलैस लेबरर्स किस तरीके से उस उफतादा पड़ी हुई जमीनों पर कब्जा कर सकेंगे इस का जवाब दिया जाए ?

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा (बाढ़) : यह एक महत्त्वपूर्ण मसला है और हम सब चाहते है कि सदन में इस पर बहस के लिए समय निकाला जाय।

अध्यक्ष महोदय : मैं कहना चाहता था कि यह समस्या वाकई बड़ी गम्भीर है और कई तरह से इस हाउस के सामने आती है तो क्यों नहीं सरकार और मंत्री महोदय हाउस में इस पर डिस्कशन के लिए कुछ समय निकाल लेते ताकि इस पर यहां बहस हो जाय।

श्री जगजीवन राम : मैं मानने के लिए तैयार हूं और मुझे हाउस में इस पर डिस्कशन होने में कोई ऐतराज नहीं है। जहां तक मेरे द्वारा दिये गये वक्तव्य का सवाल है तो मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य ने मेरा जो पहला वक्तव्य निकला था उस के बाद उन्होंने मेरा बाद का वक्तव्य नहीं देखा जिसके द्वारा लोगों के दिमाग में जो एक भ्रान्ति पैदा हो गई थी उस की मैं ने सफ़ाई कर दी थी।

श्री रवि राय (पुरी) : इस पर चर्चा का प्रस्ताव सरकार की तरफ़ से लाया जाय।

श्री जगजीवन राम : इस पर बहस हो जाय तो अच्छी बात है।

एक माननीय सदस्य : यह प्रस्ताव सरकार की तरफ़ से आयेगा तो इस पर चर्चा के लिए अधिक समय मिल सकेगा।

SHRI SURENDRANATH DWIVEDY (Kendrapara) : Let there be a Government motion.

MR. SPEAKER : I shall put it before the house and we shall try to find sometime for it.

12.24 hrs.

RE. MEETING OF CERTAIN OFFICIALS WITH SHRI T.T. KRISHNAMACHARI

DR. RAM SUBHAG SINGH (Buxar) : I have already communicated to you, Mr. Speaker, my views on one point. T.T.K. for whom I have every regard was here last week. He was sent for by the Prime Minister for consultation along with other policy framers. He invited some of the Finance Ministry officials and they perhaps went there with files. T.T.K. who was not a Minister was shown those files and the

**Not recorded